

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रित को ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 04 स्वाभाविक मृत्यु के मामले में ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 320000/- (तीन लाख बीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 307 दिनांक 23.08.2016, 96 दिनांक 13.02.2017, 245 दिनांक 22.05.2017 द्वारा खाता संख्या 349207891110, आई.एफ.एस.सी SBIN0002912, 32725576563, आई.एफ.एस.सी SBIN0002912, 3830112211750, आई.एफ.एस.सी UCBAORRBBKG, 5016262811, आई.एफ.एस.सी ALLA0212621, 34665708378, आई.एफ.एस.सी SBIN0000032 एवं 35457740441 आई.एफ.एस.सी SBIN0003589 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रित/लाभार्थी के खाता में त्रुटिपूर्ण बैंक खाता विवरणी रहने के कारण के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 245 दिनांक 22.05.2017 के क्रमांक 03, 08 96 दिनांक 13.02.2017 के क्रमांक 04, 05 एवं 307 दिनांक 23.08.2016 के क्रमांक 03, 08 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, बेगूसराय के पत्रांक 382 दिनांक 10.05.2019 के द्वारा प्राप्त बैंक प्रतिवेदन के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि का विमुक्ति का आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलापदाधिकारी /श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० अरूण कुमार, 29, श्री राम रतन महतो	श्रीमती जगतारणी देवी(पत्नी)	520/10.06. 16	ग्रा०-गोन्हरपुर,पो०-अम्बा, था०+प्र०-वीरपुर, बेगूसराय	34920789 110	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पकठौल, SBIN000291 2	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री
2	स्व० रामाश्रय पासवान, 42, श्री पिताम्बर पासवान	श्रीमती मीना देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-गोन्हरपुर, पो०-अम्बा, था०+ प्र०-वीरपुर, बेगूसराय	32725576 563	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पकठौल, SBIN000291 2	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
3	स्व० रामशंकर राय, 51, श्री रामोतार राय	श्रीमती वीणा देवी(पत्नी)	1215/23.12. 16	सा०+था०+प्र०- मटिहानी, बेगूसराय	38380110 011750	BIHAR GRAMIN BANK, MATIHANI, UCBAORRBBKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मनरेगा अंतर्गत निर्माण अकुराल श्रमिक
4	स्व० कमलधारी भगत, 55, श्री सोनेलाल भगत	श्रीमती दुलारी देवी(पत्नी)	तदैव	सा०-फतेहपुर, पो०-सुहृदनगर, था०-मुफसिल, बेगूसराय	50162622 81-1	ALLAHABAD BANK, BEGUSARAI, ALLA0212621	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, चौड़ी मजदूर
5	स्व० जिया उदीन, 64, श्री इमाम उद्दीन	श्रीमती सरबरी खातून (पत्नी)	200/09.02. 17	ग्रा०+पो०-लरूआरा, था०-मुफसिल, बेगूसराय	59139276 500	इलाहाबाद बैंक, ALLA0212621	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, चौड़ी मजदूर
6	स्व० अवनीत आनन्द, 30, श्री आनंद कुमार	श्रीमती रानी कुमारी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-मकरदही, पो०-उलाव, था०-बरौनी, बेगूसराय	33457740 441	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0003589	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, गृह निर्माण में दैनिक मजदूर

कुल :- ₹ 320000/-

(तीन लाख बीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

श्री

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-11/2015 के पृष्ठ-60 /टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक ज्ञापांक 245 दिनांक 22.05.2017 के क्रमांक 03, 08 96 दिनांक 13.02.2017 के क्रमांक 04, 05 एवं 307 दिनांक 23.08.2016 के क्रमांक 03, 08 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-11/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-11/2015-१००

पटना, दिनांक :- १६-०६-१९

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 320000/- (तीन लाख बीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

३१/६/१९
२५-०६-१९
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

२६/०६/१९
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

२६/०६/१९
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।